



क्रमांक/परिषद्/ब्रिज कोर्स/2017-18/5155 रायपुर दिनांक, 27.10.2017

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषय—शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अपेक्षानुसार शालाओं में कार्यरत बी.एड. (B.Ed.) डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) में पढ़ाने हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (Professional Development Programme For Elementary Teachers - PDPET) में 6 महीने का ब्रिज कोर्स।

संदर्भ—अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 17-2/2017-EE, 17 दिनांक 03-08-2017

—0000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(2) के अंतर्गत शालाओं (शासकीय एवं निजी) में अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्धारित योग्यताएँ प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि में संशोधन कर दिनांक 31.03.2019 की समय सीमा नियत की गयी है।

भारत सरकार की अपेक्षानुसार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बी.एड. (B.Ed.) डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) में पढ़ाने हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (Professional Development Programme For Elementary Teachers - PDPET) में 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

1. बी.एड. (B.Ed.) डिग्री धारक शिक्षकों को (कक्षा 1 से 5 में अध्यापन करा रहे हैं) ब्रिज कोर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाये।
2. शिक्षक, प्राथमिक स्तर पर सेवारत होना चाहिए तथा कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहा हो।
3. शिक्षक आरटीई अधिनियम 2009 धारा 2(n) के तहत परिभाषित स्कूल में पढ़ा रहा हो तथा आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार भर्ती किया गया हो।
4. ऐसे शिक्षक जिनके पास एनसीटीई (NCTE) से मान्यता प्राप्त कॉलेज से बी.एड. की डिग्री है वे ही इस कार्यक्रम को कर सकते हैं।
5. रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2017 है।

2